प्रतिवेदन

कार्य का नाम :– जिला टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 3.00 कि0मी0)

जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर ब्लाक के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या–5810(1)/।।।(2)(प्रा0आ0)/2010टी0सी0–11 दिनांक 20 सितम्बर 2010 द्वारा 3.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु 37.80 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उक्त मोटर मार्ग रायपुर कुमाल्डा कद्दूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 46.00 है0मी0 0–2 से प्रारम्भ होगा। उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का समरेखण अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 टिहरी द्वारा स्वीकृत है तथा प्रस्तावित मार्ग का भू–वैज्ञानिक द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। (आख्या संलग्न है)

प्रस्तावित मोटर मार्ग में पडने वाली भूमि का संयुक्त निरीक्षण वन दरोगा रायपुर रेंज, राजस्व उप निरीक्षक तथा प्रस्तावक विभाग द्वारा दिनांक 16.05.2015 को किया गया (आख्या संलग्न है)।

प्रस्ताव का गठन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया। प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु 2.295 है0 वनभूमि की आवश्यकता होगी। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से सिविल सोयम भूमि 0.090 है0 तथा आरक्षित वनभूमि 2.205 है0 भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के कुल 108 वृक्ष विभिन्न व्यास वर्ग में पातन की आवश्यकता होगी (आख्या संलग्न है)।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम रिंगालगढ़ व ग्राम दड़क रायपुर कुमाल्डा मोटर मार्ग से जोड़ा जायेगा। जिससे स्थानीय ग्रामवासी लाभान्वित होंगे। उक्त मोटर मार्ग जनहित में आवश्यक है। मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि 9.00 मी0 चौड़ाई में ली गई है तथा वृक्षों की गणना 7.00 मी0 में की गई है।

अतः उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक 2.295 है0 वनभूमि अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 थत्यूड के पक्ष में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 9 मी0 चौडाई में प्रस्तावित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0,लो0नि0वि0
थत्यूड़

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लो0नि0वि0
थत्यूड़